फा.सं.1/150(70)/2019-भ-I/एसपीसी-I

फा.सं.1/74(27)/2019-भ-I/एसपीसी-I

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती शाखा

विशेष प्रकोष्ठ-I अनुभाग

विषय : निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण:-

(i) आयुष मंत्रालय में चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद) के 37 पद (विज्ञापन सं. 02/2020, दिनांक 25.01.2020, रिक्ति सं. 20010201125, मद सं. 01)

(ii) आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के 09 पद (विज्ञापन सं. 12/2019, दिनांक 28.09.2019, रिक्ति सं. 19091204128, मद सं. 04)

<table>
<tr><th>तारीख तथा दिन - भारतीय मानक समय</th><th>विषय एवं विषय का कोड</th></tr>
<tr><td><u>20.12.2020 (रविवार)- अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक</u>
उपर्युक्त पद पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण:-</td><td rowspan="2">आयुर्वेद (02)</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>कार्यकलाप का विवरण</th><th>समय</th></tr>
<tr><td>उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करने का समय</td><td>अपराह्न 12.30 बजे</td></tr>
<tr><td>प्रवेश पत्र का अधिप्रमाणन और उम्मीदवारों का पंजीकरण</td><td>अपराह्न 12.30 बजे से</td></tr>
<tr><td>लैब में उम्मीदवारों के प्रवेश की अनुमति</td><td>अपराह्न 12.30 बजे से</td></tr>
<tr><td>मुख्य द्वार पर उम्मीदवारों का प्रवेश बंद होने का समय</td><td>अपराह्न 01.15 बजे</td></tr>
<tr><td>पासवर्ड की घोषणा</td><td>अपराह्न 01.50 बजे</td></tr>
<tr><td>उम्मीदवार सुरक्षित ब्राउजर को खोलेंगे और अनुदेश पढ़ेंगे</td><td>अपराह्न 01.50 बजे से अपराह्न 02.00 बजे</td></tr>
<tr><td>परीक्षण प्रारंभ होने का समय</td><td>अपराह्न 02.00 बजे</td></tr>
<tr><td>परीक्षण समाप्त होने का समय</td><td>अपराह्न 04.00 बजे</td></tr>
<tr><td>उम्मीदवार शांतिपूर्वक बाहर निकलेंगे</td><td>अपराह्न 04.00 बजे से अपराह्न 04.15 बजे तक</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

उम्मीदवारों के प्रवेश संबंधी अनुदेश

- उम्मीदवार प्रवेश द्वार पर पंक्तिबद्ध खड़े होंगे और शांतिपूर्वक प्रवेश करेंगे।
- प्रवेश करते समय उम्मीदवार मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों को अपना प्रवेश पत्र तथा मूल फोटो पहचान-पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/ केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र)दिखाएंगे।
- उम्मीदवारों को परीक्षण स्थलों पर प्रवेश करने की अनुमति होगी और अपराह्न 12.30 बजे से पंजीकरण प्रारंभ हो जाएगा।
- कंप्यूटर लैब में प्रवेश अपराह्न 12.30 बजे प्रारंभ होगा।
- उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में अपराह्न 01.15 बजे के बाद परीक्षण स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- उम्मीदवारों का पंजीकरण अपराह्न 01.30 बजे बंद हो जाएगा।

I. परीक्षण की योजना :

(क) परीक्षण दो घण्टे की अवधि का होगा।

(ख) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।

(ग) परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्प उत्तर वाले प्रश्नों पर आधारित होगा।

(घ) परीक्षण अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में होगा।

(ङ) गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा।

(च) प्रश्न पत्र, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक स्तर का होगा।

(छ) परीक्षण के अंतर्गत अधिकतम अंक 300 होंगे।

II. परीक्षण का पाठ्यक्रम :

परीक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा जोकि सामान्यतया भारतीय विश्वविद्यालयों के बी.ए.एम.एस.(आयुर्वेद) के पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं:

मौलिक सिद्धांत, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग संग्रह, रचना शरीर, क्रिया शरीर, रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना, द्रव्यगुण विज्ञान, अगाद तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यका, रोग

विज्ञान एवं विकृति विज्ञान, चरक संहिता, स्वास्थ्य वृत्त, काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमार भर्त्या।

<u>महत्वपूर्ण टिप्पणियां</u> :

(क) उम्मीदवार उसी परीक्षण स्थल पर परीक्षण दें, जिसका उल्लेख उनके ई-प्रवेश पत्र में किया गया है। यदि उम्मीदवार किसी और परीक्षण स्थल पर परीक्षण देता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

(ख) संयुक्त सीबीआरटी के माध्यम से लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के संदर्भ में संवीक्षा, केवल संबंधित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओआरए) भरते समय अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर ई-मेल के जरिए उम्मीदवारों को छूट गए दस्तावेज भेजने के लिए कहा जाएगा। इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उक्त पदों हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(ग) उम्मीदवारों को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षण दें, अर्थात् वे इस बात की संपुष्टि कर लें कि वे विज्ञापन में निर्धारित अर्हताओं को पूरा कर रहे हैं और परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया "अनंतिम" है।

<u>उम्मीदवारों को अनुदेश</u>

कृपया निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। किसी भी अनुदेश के उल्लंघन के कारण उम्मीदवार के विरुद्ध आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ***(उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों की यह प्रति संदर्भ के लिए भर्ती परीक्षण हॉल में साथ लाएं)।***

<u>ई-प्रवेश पत्र</u> :

1. ई-प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के तत्काल बाद उम्मीदवार इसकी ध्यानपूर्वक जांच करें और विसंगतियां, यदि कोई हों, पाए जाने पर उन्हें अविलंब संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। परीक्षण के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विसंगतियों के मामले में प्रयास किए जाएंगे कि संशोधित ई-प्रवेश पत्र यथाशीघ्र अपलोड कर दिए जाएं। उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र के पृष्ठ सं. 2 पर उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार अपने ई-प्रवेश पत्र के साथ अपना मूल फोटो पहचान-पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/पैन

कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/ केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र) साथ लेकर आएं। जिन उम्मीदवारों के ई-प्रवेश-पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है वे भर्ती परीक्षण में प्रवेश के लिए वचनबंध (अंडरटेकिंग) सहित अपने साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ और अपने फोटो पहचान पत्र का मूल प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि साथ लाएं।

2. ई-प्रवेश-पत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी उम्मीदवार की है। यदि कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए इस ई-प्रवेश-पत्र का इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व उम्मीदवार का होगा कि उसने किसी प्रतिरूपधारक की सेवा नहीं ली है और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
3. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि तकनीकी कारणों से ई-प्रवेश पत्र पर उनके नाम का लघु रूप अंकित हो सकता है। इस बारे में आयोग द्वारा किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट परीक्षा हॉल में अवश्य लाएं।
5. **उम्मीदवारों को बायोमीट्रिक प्रणाली में अपना पंजीकरण करना अपेक्षित है, जिससे परीक्षण प्रारंभ होने से पूर्व उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए उनका बायोमीट्रिक डाटा रिकार्ड किया जा सके। अत:, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वे अपने हाथों/पैरों पर मेहंदी, स्याही आदि जैसे बाहरी पदार्थ न लगाएं।**
6. पंजीकरण के उपरांत उम्मीदवार को लैब संख्या और कंप्यूटर संख्या आबंटित की जाएगी।

नमूना (डेमो)

कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर उपलब्ध कंप्यूटर आधारित परीक्षण के नमूने (डेमो) का अध्ययन करें।

परीक्षण लैब के नियम

- परीक्षण के दौरान किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी उम्मीदवार को निरीक्षक की अनुमति के बिना अपनी सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

किस सामान की अनुमति है तथा किसकी नहीं है

- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ नीला अथवा काला पेन तथा पेंसिल लेकर लाएं।
- **जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां इलेक्ट्रानिक या अन्य किस्म का कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्लाइड रूल, मोबाइल फोन/ब्लूटूथ अथवा ऐसे किसी अन्य उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिनका इस्तेमाल संचार उपकरण के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें भविष्य के परीक्षणों/परीक्षाओं से प्रतिबंध शामिल है।**

- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती/मूल्यवान सामान परीक्षण लैब में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

<u>परीक्षण के दौरान अनुदेश</u>

- परीक्षण की अवधि 120 मिनट अर्थात् दो घंटे है ।
- दो घंटे की अवधि वाला कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षण देने वाले कतिपय श्रेणियों के विकलांग उम्मीदवारों जैसे लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (एलडीसीपी) वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (न्यूनतम 40% अक्षमता) है, उन्हें स्क्राइब की सहायता के साथ-साथ प्रतिपूरक समय के रूप में 20 मिनट प्रति घंटे की दर से अर्थात् 40 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा, यदि उन्होंने ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओआरए) में इसका विकल्प दिया हो।
- पासवर्ड की घोषणा अपराह्न 01.50 बजे की जाएगी। उम्मीदवार, अपराह्न 01.50 बजे से 02.00 बजे तक सुरक्षित ब्राउजर खोलेंगे और अनुदेश पढ़ेंगे। हालांकि, उम्मीदवारों को अपराह्न 02.00 बजे से पहले परीक्षण प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही उन्होंने अनुदेश 02.00 बजे से पहले क्यों न पढ़ लिए हों, क्योंकि समय का सामंजस्य सर्वर के साथ बिठाया गया है। उम्मीदवारों को परीक्षण के लॉग-इन पृष्ठ पर यूजर आईडी के रूप में अपना अनुक्रमांक तथा निरीक्षक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लॉग-इन पृष्ठ पर पासवर्ड एंटर करना होगा।
- मांग करने पर उम्मीदवारों को कच्चे कार्य के लिए कागज मुहैया कराया जाएगा।
- परीक्षण में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में, उम्मीदवार तत्काल इसकी सूचना निरीक्षक को प्रदान करें। निरीक्षक, परीक्षण में रिलॉग-इन करने में उम्मीदवार की मदद करेंगे। इससे परीक्षण वहां से पुन: प्रारंभ हो जाएगा जहां पर रुक गया था।
- सभी प्रश्नों की संख्यात्मक सूची स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित होगी।

- परीक्षण के दौरान "शेष समय" पर ध्यान दें।
- एक बार उत्तर दिए जाने के उपरांत वह अंतिम होगा। तथापि, परीक्षण के दौरान अंतिम रूप से जमा (फाइनल सबमिशन) किए जाने से पहले कभी भी उत्तर में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें 'क्लियर रिस्पांस' बटन के माध्यम से प्रश्न को अनअटेंप्ट (उत्तर नहीं देना) करना भी शामिल है।
- गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न के लिए कोई उत्तर नहीं चुना जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा।
- परीक्षण का समय समाप्त हो जाने के उपरांत आपको उत्तर देने से स्वत: रोक दिया जाएगा और परीक्षण ऑटो-सबमिट (स्वत: जमा) हो जाएगा।
- उम्मीदवार, परीक्षण स्थल पर किसी प्रकार की पुस्तकें, कागज, मोबाइल फोन अथवा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान न लाएं। संघ लोक सेवा आयोग ऐसे सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
- प्रतिरूपधारण (धोखेबाजी के उद्देश्य से किसी और की पहचान अपनाना) वर्जित है।
- उम्मीदवार किसी भी कारण से अन्य उम्मीदवारों से न तो बात करेंगे और न ही किसी भी प्रकार का संवाद करेंगे। ऐसे संवाद को परीक्षण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
- परीक्षण स्थल पर यदि किसी उम्मीदवार के पास अनधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसे परीक्षण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षण नियमों का उल्लंघन करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अनुचित माध्यम का प्रयोग किया है। यदि कोई उम्मीदवार अनुचित माध्यम अपनाता है तो उसे इस परीक्षण तथा संघ लोक सेवा आयोग की भावी परीक्षणों/परीक्षाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा और/या उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- परीक्षण पूरा होने के उपरांत उम्मीदवार अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और आपस में बातचीत नहीं करेंगे।
- परीक्षण के लिए आबंटित समय पूरा होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी।
- उम्मीदवार सभी अनुदेशों तथा परीक्षण के पर्यवेक्षक/ निरीक्षक द्वारा दिए जाने वाले अन्य ऐसे अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं करता है अथवा अव्यवस्था उत्पन्न करता है अथवा अनुचित

आचरण करता है तब उसे परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा/अथवा आयोग अपने विवेकानुसार कोई अन्य उपयुक्त दंड दे सकता है।

- उम्मीदवार, परीक्षण लैब में निरीक्षक/सहायक पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर यथापेक्षित आवश्यक तथा सटीक सूचना प्रस्तुत करेगा ।

<u>सामान्य</u>

- **उम्मीदवार यह नोट करें कि परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया "अनंतिम" है।**
- उम्मीदवार को मात्र ई-प्रवेश पत्र जारी करने का यह तात्पर्य नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम तौर पर मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा परीक्षण हेतु उसके आवेदन प्रपत्र में दर्ज की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सच्ची और सही रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

- उम्मीदवार यह नोट करें कि आयोग मूल दस्तावेज से केवल उन उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तों अर्थात् आयु, शैक्षिक योग्यता, समुदाय आदि का सत्यापन करता है जो भर्ती परीक्षण में अर्हक होते हैं। जब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती है तब तक उसकी उम्मीदवारी "अनंतिम" बनी रहती है।
- उम्मीदवार यह भी नोट करें कि ई-प्रवेश पत्र जारी करने के पश्चात किसी भी चरण अथवा परीक्षण के पहले या बाद में किसी अपात्रता का पता चलता है या विज्ञापन में दी गई नियमावली और अनुदेशों में निर्धारित शर्तों या मांगी गई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है तब उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
- यात्रा संबंधी खर्च या अन्य प्रकार के व्यय का वहन उम्मीदवार स्वयं करेंगे।
- आयोग किसी उम्मीदवार के ठहरने और खान-पान का इंतजाम नहीं करता है।

<u>शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u>

(i) <u>आयुष मंत्रालय में चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद) के 37 पद</u>: सैंतीस रिक्तियों में से एक रिक्ति शारीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवार अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां)(ओएल) अथवा एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां)(ओए) के लिए आरक्षित है। । ये पद शारीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवार अर्थात् प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ/

कुष्ठ उपचारित/ बौनापन/ तेजाबी हमला पीड़ित/ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां)(ओएल) अथवा एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां)(ओए) अथवा कुष्ठ उपचारित(एलसी) अथवा बौनापन(डीडब्ल्यू) अथवा तेजाबी हमला पीड़ित (एएवी) अथवा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एमडीवाई) के लिए उपयुक्त भी हैं।

(ii) <u>आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में चिकित्सा अधिकारी/(आयुर्वेद) के 09</u> पद: ये पद शारीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों अर्थात् चलने में असमर्थ/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात/ कुष्ठ उपचारित/ बौनापन/तेजाबी हमला पीड़ित/ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात् एक पांव प्रभावित (दायां अथवा बायां)(ओएल) अथवा एक हाथ प्रभावित (दायां अथवा बायां)(ओए) के लिए उपयुक्त हैं।

इस चरण में, उम्मीदवारों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन(ओआरए) में उनके द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर ही कंप्यूटर आधारित संयुक्त भर्ती परीक्षण में प्रवेश प्रदान किया गया है। अत:, जिन उम्मीदवारों ने यह दावा किया है कि वे शारीरिक विकलांग (पीएच) श्रेणी के हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे क्रमश: दिनांक 25.01.2020 को प्रकाशित विज्ञापन सं. 02/2020 (रिक्ति सं.20010201125, मद सं. 01) एवं दिनांक 28.09.2019 को प्रकाशित विज्ञापन सं. 12/2019 (रिक्ति सं.19091204128, मद सं. 04) के संदर्भ में यथाउल्लिखित शारीरिक विकलांगता श्रेणियों में आते हैं। उम्मीदवार यह अवश्य नोट कर लें कि ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने के उपरांत किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि वे अर्हता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

मोबाइल फोन/ ब्लूटूथ उपकरण तथा इस प्रकार के अन्य आईटी गैजेट परीक्षण स्थल पर प्रतिबंधित हैं।

****